PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Business Bhaskar, Faridabad
Sunday 16th February 2014, Page: 3
Width: 20.33 cms, Height: 6.89 cms, a4r, Ref: pmin.2014-02-16.47.12

क्लिनिकल ट्रायल के नए प्रोजेक्ट से तौबा

•महेंद्र सिंह •नई दिल्ली

दवा कंपनियां क्लिनिकल ट्रायल के नए प्रोजेक्ट से तौबा कर सकती हैं। दवा कंपनियों का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल पर बने नए नियम जरूरत से ज्यादा सख्त हैं। ऐसे में पहले से जारी क्लिनिकल ट्रायल पूरे करने के बाद हमें नए प्रोजेक्ट के लिए दूसरे विकल्पों के बारे में सोचना पड़ेगा। वहीं, दवा उद्योग का मानना है कि क्लिनिकल ट्रायल बंद होने से बाजार में नई दवाएं नहीं आएंगी।

अग्रणी दवा कंपनी सिप्ला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 'बिज़नेस भास्कर' को बताया कि पहले से चले रहे क्लिनिकल ट्रायल बहुत ही सुस्त रफ्तार से चल रहे हैं। दवा नियामक की

ओर से आ रही नियामकीय जरूरतों से जुड़ी मंजूरी की प्रक्रिया बहुत सुस्त है। हम पहले से चल रहे ट्रायल पूरे करेंगे लेकिन मौजूदा नियमों के चलते हमें नए प्रोजेक्ट के बारे में दूसरे विकल्पों पर विचार करना होगा। अधिकारी का कहना है कि दूसरे देशों में क्लिनिकल ट्रायल करने का विकल्प भी आसान नहीं है। दूसरे देशों में क्लिनिकल ट्रायल करने में लागत के साथ-साथ यहां प्रोजेक्ट की निगरानी करने से जुड़ी समस्याएं भी हैं। वहीं, घरेलू दवा कंपनियों के उद्योग संगठन इंडियन फार्मास्युटिकल एलाएंस (आईपीए) के सेक्रेटरी जनरल डी. जी.शाह ने बताया कि दवा कंपनियों ने क्लिनिकल ट्रायल सस्पेंड कर दिया है और मौजूदा नियम के तहत कोई भी दवा कंपनी क्लिनिकल ट्रायल नहीं करना चाहती है। शाह का कहना है कि हर इंडस्ट्री में पांच-दस फीसदी लोग गलत काम करते हैं लेकिन इसकी सजा ऐसे बाकी 90 फीसदी लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जो जो नियम-कानून का पालन करते हैं। शाह के मुताबिक अगर सरकार क्लिनिकल ट्रायल के नियमों में सुधार नहीं करती है तो बाजार में नई दवाएं नहीं आएंगी।